



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222779
CG-DL-E-27102020-222779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]
No. 554]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 678(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 24 के उप-नियम (3) में, परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

“परन्तु यह और कि मुक्त व्यापार और भाण्डागार जोन में को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति के मामले में, प्रतिअदायगी या अन्य कोई समरूप प्रसुविधास्कीम वहां स्वीकार्य होगी जहां उक्त

नियम 18 के उपनियम (5) के अध्यक्षीन, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा घेरलु टैरिफ क्षेत्र को संदाय विदेशी करेन्सी में किया गया हो।”

[फा. सं. जी-3/1/2012-एसईजेड (भाग)]

एस. किशोर, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II; खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 54(अ) तारीख 10 फरवरी 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 12(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2020

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 24, in sub-rule (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -
“Provided further that in case of supplies from Domestic Tariff Area to foreign suppliers in Free Trade and Warehousing Zone, the drawback or any other similar benefit Scheme shall be admissible where the payments are made in foreign currency by the foreign supplier to Domestic Tariff Area subject to sub-rule (5) of rule 18 of the said rules.”

[F.No. G-3/1/2012-SEZ(PT)]

S. KISHORE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* notification number G.S.R 12 (E), dated the 31st December, 2019.